पंचम माला, खंड 56, अंक 20, बुधवार, 4 फरवरी, 1976/15 माघ, 1897 (शक)

Fifth series, Vol. LVI, No. 20, Wednesday, February 4, 1976/Magha 15, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र / Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 56 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. LVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

बुधवार, 4 फरवरी, 1976/15 माघ, 1897 (शक)

Wednesday, February 4, 1976/Magha 15, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	1—4
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha . . .	4
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक— राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में	Industrial Disputes (Amendment) Bill— As passed by Rajya Sabha . .	4
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from the sittings of the House—	
(i) कार्यवाही सारांश	(i) Minutes	5
(ii) 24वां प्रतिवेदन	(ii) Twenty-fourth Report.	5
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति— 15वां प्रतिवेदन	Committee on Government Assurances— Fifteenth Report	5
बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 का निरनुमोदन करने सम्बन्धी सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution *re.* disapproval of Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 1975	
और	and	
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक—	Payment of Bonus (Amendment) Bill—	
राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . . .	5—8
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	8—10
खण्ड 2 से 31 और 1	Clauses 2 to 31 and 1	10—23

विषय	SUBJECT	Page
पास करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy. . .	23
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . . .	23
ड रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	23-24
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	24
सभा का कार्य	Business of the House	25
सदस्यों की गिरफ्तारी— (सर्वश्री पी० ए० स्वामीनाथन तथा मुरासोलीमारन)	Arrest of Members— (Sarvashri P.A. Swaminathan and Murasoli Maran)	25
लोक सभा (कालावधि विस्तारण) विधेयक —	House of the People (Extension of Duration) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	25-40
श्री एच० आर गोखले	Shri H.R. Gokhale 25-26,	38-40
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . . .	26-28
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . .	28-29
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee	29-30
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	30
प्रो० शेरसिंह	Prof. Sher Singh	31
श्री परिपूर्णा नन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli . .	31-32
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E.R. Krishnan . . .	32-33
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla	33
श्री इराज्मुद सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira . . .	33-34
श्री के० सूर्यनारायणन	Shri K. Suryanarayana . .	34
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R.R. Sharma	34-35
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango . . .	35
श्री जम्बूवन्त धोते	Shri Jambuwant Dhote . . .	35
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga.	35-36
श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthamma .	36
श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	36-37
श्री पी० वेंकटसुबैया	Shri P. Vankatasubbaiah . . .	37
श्रीपी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . . .	37
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwarlal Patel . . .	38

विषय	SUBJECT	PAGE
श्री के० माया थेवर	Shri K. Mayathever	38
खण्ड 2 और 1	Clauses 2 and 1	40-41
पारित करने के लिये प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	41
श्री रामदेव सिंह	Shri Ramdeo Singh	41
श्री राज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira . . .	42

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 4 फरवरी 1976/15 माघ 1897 (शक)

Wednesday, February 4, 1976/ Magha 15, 1897 (Saka)

[लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई]

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. SPEAKER *in the Chair*

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स मद्रास की वर्ष 1974–75 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स, गिंडी, मद्रास के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टूल्स, गिंडी, मद्रास का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10321/76]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 17 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 25(ङ) में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 17 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 26(ङ) में प्रकाशित हुये थे ।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 17 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 71 में प्रकाशित हुये थे ।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 21वां संशोधन नियम, 1975, जो दिनांक 17 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 74 में प्रकाशित हुये थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10322/76]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 62(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 2 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 4(ङ) में कतिपय संशोधन किया गया हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10323/76]

राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली के 31 मई, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की समीक्षा वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मई, 1974 कों समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का 31 मई, 1974 को समाप्त हुये वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिय** संख्या एल० टी० 10324/76]

***रिफ आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अल्कोहल के मूल्य ढांचे पर टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन के रखने में विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण के बारे में शुद्धि पत्र**

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : मैं टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर औद्योगिक अल्कोहल के मूल्य ढांचे पर टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन लोक सभा के समक्ष न रखे जाने के कारण बताने सम्बन्धी विवरण, जो 20 जनवरी, 1976 को लोक सभा पटल पर रखा गया था, का' शुद्धी पत्र' (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10325/76]

भारतीय काजू निगम तथा भारतीय चाय व्यापार निगम की वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) (एक) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10326/76]

(ख) (एक) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10327/76]

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के भारत के समाचार पत्र 1973 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2)

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं श्री धर्मवीर सिंह की ओर से भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के भारत के समाचार पत्र, 1973 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10328/76]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने अपनी 2 फरवरी, 1976 की बैठक में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1976 पास कर दिया है।

(दो) कि राज्य सभा 2 फरवरी, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 जनवरी, 1976 को पास किये गये प्रैस परिषद् (निरसन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(तीन) कि राज्य सभा 3 फरवरी, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 जनवरी, 1976 को पास किये गये मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(चार) कि राज्य सभा 3 फरवरी, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 जनवरी, 1976 को समान पारिश्रमिक विधेयक, 1976 में किये गये संशोधन से सहमत हो गई है।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL

महासचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1976, सभा पटल पर रखता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

(i) कार्यवाही सारांश

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 23 जनवरी, और 3 फरवरी, 1976 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

(ii) 24वाँ प्रतिवेदन

श्री एस० एम० सिद्दय्या : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

15वाँ प्रतिवेदन

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का 15वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 का निरनुमोदन करने सम्बन्धी साँविधिक संकल्प और बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक--जारी

STATUTORY RESOLUTION RE: PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1975 AND PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पेश किये गये संकल्प पर आगे चर्चा की जाएगी ।

Shri R. R. Sharma (Banda) : I have given a notice under Rule 377.

Mr. Speaker : I have not admitted that notice.

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बहुत ही योग्यता से अपनी बात कही है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों की दृष्टि से उनके तर्क निराधार हैं ।

मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में टाटा जैसे एकाधिकारियों के दबाव में नहीं आयी है और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये ही ऐसा किया गया है ।

[श्री रघुनाथ रेड्डी]

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की इस बात से सहमत हूं कि फासिस्टवादी तथा दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी ताकतों का मुकाबला करने के लिये गांव के गरीब लोगों, मध्य वर्ग के लोगों, बुद्धिजीवियों आदि आदि को राजनैतिक दृष्टि से सजग करके संगठित किया जाना चाहिये । प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य भी इन्हीं ताकतों का मुकाबला करना है ।

इतिहास बताता है कि फासिस्टवाद आर्थिक संकटों से लाभ उठता है, जो राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर उभर जाता है ।

फासिस्टवाद का विकास विभिन्न प्रकार से होता है । हमें फासिस्टवाद के राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण को समझना चाहिये ।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 40 तथा 50 प्रतिशत के बीच लोग गरीबी के स्तर से नीचे के स्तर पर रहते हैं और इसी दृष्टि से हमें फासिस्टवाद के खतरे को समझना है । अतः इस प्रकार की स्थिति को टालने के लिये हमें न केवल मांग की दिशा में सफलता प्राप्त करनी है बल्कि निवेश की दिशा में भी सफलता प्राप्त करनी है । हमें बचत को प्राथमिकता देनी चाहिये । इस विधेयक द्वारा हम इसी उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं । आर्थिक विकास के लिये बचत अनिवार्य है ।

श्रमजीवी वर्ग द्वारा फ़ासिस्टवाद की ताकतों का मुकाबला करने के लिये जो ऐतिहासिक योगदान दिया है, सरकार उसके लिये आभारी है । आनंद मार्ग तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फ़ासिस्टवाद तथा दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावाद का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

श्रमजीवी वर्ग द्वारा अधिक रियायतों और वेतनों की मांग का परिणाम वियतनाम युद्ध के दौरान यह रहा कि अमरीका की कम्पनियों ने भी श्रमजीवी वर्ग के साथ अत्यधिक लाभ प्राप्त किये ।

विधेयक तथा अधिनियम के उपबन्धों में प्रयुक्त शब्द 'आवंटनीय अधिशेष' के बारे में कुछ गलतफ़हमी है । इसके बारे में मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । आवंटनीय अधिशेष की गणना के लिए सबसे पहले हमें लेखा वर्ष के 'सकल लाभ' का पता लगाना है । इसी प्रकार कुछ मदों का घटाना होता है, जैसा कि वाह्य व्यय, राज सहायता आदि । इससे हमें सकल लाभ का पता चलता है । इसके बाद हमें उपलब्ध अधिशेष का पता लगाना होता है । यह कार्य सकल लाभ में से मूल्य ह्रास, विकास छूट, कर, पूंजी कर आय आदि घटाकर होता है । उपलब्ध अतिरिक्त अधिशेष का 60 प्रतिशत आवंटनीय अधिशेष होता है, जैसा कि बोनस सदाय अधिनियम, 1955 की धारा 2(4) में विहित है ।

अतः मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बोनस अधिनियम के अन्तर्गत आवंटनीय अधिशेष के आधार पर श्रमिक चार वर्ष तक न्यूनतम बोनस प्राप्त कर सकते हैं । यह एक लाभकारी प्रावधान है तथा नेता एवं मजदूर वर्ग को इस से लाभ होगा ।

बोनस के शेयरों का भी प्रश्न उठाया गया है । कुछ विनियमों तथा प्रक्रियाओं के अन्तर्गत बोनस शेयरों को आवंटित करने की अनुमति दी जाती है । आवंटन का कार्य नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत ही होता है । यह कार्य निगमित क्षेत्र पर नहीं छोड़ा जाता । यदि पर्याप्त लाभ होता है जिसके कारण आवंटनीय अधिशेष हो जाता है, तो मजदूरों को बोनस दिया जाता है । बोनस शेयरों से निगमित समवाय में स्थिरता आती है, रोजगार तथा उत्पादन बढ़ता है तथा इससे फिर अधिशेष की सम्भावना होती है । अब मजदूरों को स्वयं ही अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या वह निगमित समवाय में स्थिरता लाना चाहते हैं और उत्पादन तथा रोजगार बढ़ाना चाहते हैं तथा बोनस प्राप्त करना चाहते हैं अथवा बेरोजगारी की स्थिति पैदा करना चाहते हैं।

यह प्रश्न भी पूछा गया है कि धारा 34(2) के अन्तर्गत पारस्परिक विचार विमर्श करने के आधार पर समझौता क्यों नहीं करने दिया जा रहा ? इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकारी वित्तीय संस्थानों के पास काफी शेयर है । मान लीजिए यदि पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर प्रबन्धकों तथा मजदूर संघों को बोनस तय करने का अवसर दिया जाए तो वे सारी पूंजी ही समाप्त कर देंगे । हालांकि इससे दोनों वर्ग तो खुश हो जाएंगे परन्तु कम्पनी का दिवाला निकल जाएगा । इससे न केवल राष्ट्रीय हानि होगी बल्कि बेरोजगारी भी उत्पन्न होगी । यही कारण है कि बोनस को नियमों-विनियमों के अन्तर्गत देना आवश्यक है ।

यह प्रश्न भी पूछा गया है कि अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत क्यों निर्धारित की गई है ? इस मामले में भी वही तर्क लागू होता है । मान लीजिए यदि आर्थिक अधिशेष होता है तो उसका कितना भाग आवंटन के लिए तथा कितना भाग आर्थिक विकास के लिए व्यय किया जाएगा ? यदि प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच ही अधिशेष बांट दिया जाता है तो न तो कम्पनी का विस्तार ही हो पाएगा और न ही रोजगार के अवसर ही बढ़ेंगे । इस प्रकार कुछ वर्ग तो खुश हो जाएंगे परन्तु अधिकांश वर्गों को नुक्सान होगा । इससे प्रगति विरोधी अर्थ व्यवस्था पैदा होगी ।

प्रधान मंत्री के सफल नेतृत्व में सरकार तथा कांग्रेस दल आर्थिक विकास तथा आत्म-निर्भरता की आवश्यकता के प्रति जागरूक है ।

यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि सरकार मजदूरों को बोनस देने के विरुद्ध है । वस्तुतः वर्तमान विधेयक युक्तिसंगत आधार पर मजदूरों को बोनस देने की व्यवस्था करने के लिए पेश किया गया है । सरकार जो कुछ कहती है वह आर्थिक विकास तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कहती है । जिन कम्पनियों को घाटा हो रहा है उन्हें बोनस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए । यदि अधिशेष होगा तो अधिकतम 20 प्रतिशत बोनस तो मिलेगा ही ।

मैं श्री स्टीफन की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यदि मजदूर वर्ग उत्पादन प्रक्रिया को तेज नहीं करते तो संतुलित आर्थिक विकास और प्रगति के अवसर कम हो जाएंगे । इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने उद्योगों में मजदूरों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी योजना शुरू की थी। मजदूर वर्ग को इस योजना से लाभ उठाना चाहिए ।

कोई भी जिम्मेदार सरकार जिसको जनता के हितों का सर्वाधिक ध्यान हो, जीवन की वास्तविकता से मुख नहीं मोड़ सकती । अब समय आ गया है जबकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रधानमंत्री

[श्री रघुनाथ रेड्डी]

के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए ताकि मजदूरों को रोजगार के पूर्ण अवसर प्राप्त हो सकें और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। केवल 4 प्रतिशत या इससे अधिक बोनस की मांग करके समस्या को हल नहीं किया जा सकता।

मैं विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : हमारे देश में कुछ लोगों की यह शिकायत है कि हमारे मजदूर संघ राजनीतिक दलों से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों की यह भी मांग है कि मजदूर संघों को राजनीति में रुचि नहीं रखनी चाहिए तथा अपने आप को निर्वाह तथा सेवा की स्थिति तक ही सीमित रखना चाहिए। परन्तु यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें उस आर्थिक वाद का दोषी ठहराया जाएगा जिसकी मंत्री महोदय स्वयं निन्दा कर रहे हैं।

मंत्री महोदय का यह कहना है कि उनकी सरकार लोकप्रिय नारों में विश्वास नहीं रखती। मैं उन्हें उस समय की याद दिलाना चाहता हूं जबकि न्यूनतम बोनस को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.33 प्रतिशत किया गया था। यह घोषणा वर्ष 1971 के आम चुनावों से पहले एक लोकप्रिय नारे के रूप में श्रमिक वर्ग से वोट लेने के लिए की गई थी। अब चूंकि देश में आपात स्थिति है, चुनावों को स्थगित कर दिया गया है, इसलिए 8.33 प्रतिशत बोनस तो दूर 4 प्रतिशत बोनस देना भी बंद किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार जब चाहे लोकप्रिय नारा अपना लेती है और जब चाहे इसके विरुद्ध बोलती है।

मंत्री महोदय ने एक दिलचस्प बात यह कही है कि बोनस शेयर जारी करने का अर्थ है संचित निधि की पूंजी को बढ़ाना, निगमित क्षेत्र में स्थायित्व लाना। लेकिन मंत्री महोदय ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि यह निगमित क्षेत्र क्या है और यह किसके हाथों में है। बोनस शेयर जारी करने वाली सारी फर्में चुकता पूंजी के बराबर शेयर जारी कर सकती हैं, परन्तु ये सब की सब गैर-सरकारी क्षेत्र में एकाधिकारियों की कम्पनियां हैं। क्या सरकार इस बात की गारन्टी देगी कि इस प्रकार शेयर बोनस जारी करके संचित निधि को पूंजी में परिवर्तित किए जा रहे धन का निवेश सामाजिक उत्पादन के कार्य में होगा। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि इस धन का उपयोग लाभकर कार्यों के लिए किया जाएगा?

मंत्री महोदय इस विधेयक पर विस्तारपूर्ण चर्चा के पक्ष में हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को प्रतिवर्ष बोनस देना पड़े तो उन्हें बन्द करना होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या बिना बोनस दिए मिलों को चलने दिया जाए अथवा बोनस देकर बेरोजगारी बढ़ाई जाए? मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं कि भूतपूर्व मिल मालिकों के कुप्रबन्ध के कारण मिलों की हालत खराब हुई। क्या उनकी गलतियों का फल मजदूर वर्ग भोगे और बोनस की मांग त्याग दे? यह तर्क मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता।

माननीय सदस्य श्री नाथूराम मिर्धा का कहना है कि शहरों में रहने वाले विशेषकर औद्योगिक नगरों के श्रमिक और मजदूर संघ नेता बड़ा संकुचित दृष्टिकोण रखते हैं, वे गांवों की ओर ध्यान नहीं देते और उन्हें अपना दृष्टिकोण उदार बनाना चाहिए। शायद वह भूल रहे हैं कि अधिकतर श्रमिक गांवों से आते हैं यदि बोनस मिलने पर वे लोग उसकी बड़ी राशि गांवों में अपने

आ श्रितों के पास भेज देते हैं तो क्या यह अपराध है ? क्या इससे गांवों के लोगों को लाभ नहीं हो रहा है ? क्या यह समाज सेवा नही है ?

मैं मंत्री महोदय के इस उत्तर से सहमत लहीं हूं कि मजदूरों को बोनस तभी मिलेगा जबकि आवंटनीय अधिशेष उपलब्ध होगा । वर्तमान बोनस फार्मुला ऐसा है जिससे आवंटनीय अधिशेष होगा ही नहीं । इसका परिणाम यह होगा कि मजदूरों को अगले वर्ष से बोनस नहीं मिलेगा । अहमदाबाद के मजदूर महाजन संघ ने मत्री महोदय को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने यह आशंका व्यक्त कि है कि बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश से उत्पादन का अहित होगा । मेरा भी यही मत है । इसी कारण से हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं सरकार यह विधेयक पास करना चाहती है; हम इसे रोक नहीं सकते । परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विषय पर मजदूर सघों से बातचीत करने के लिए तैयार है ?

तुलन-पत्र के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं । हम सब जानते हैं कि तुलन-पत्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं । क्या कोई ऐसा तरीका नहीं निकाला जा सकता है जिसमे इनकी जांच का पता लगाया जा सके । काफी अरसा पहले हमने देखा परीक्षा का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की थी परन्तु सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया ।

प्रबन्ध में मजदूरों के प्रतिनिधित्व की मांग प्रत्येक मजदूर संघ ने की है । जब श्रम मंत्रालय ने प्रब न्ध में श्रमिकों के योगदान के बारे में एक योजना बनाई थी तो हमने आशा की थी कि इससे कुछ स तोष मिलेगा । लेकिन उस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों के प्रतिनिधियों को केवल उत्पादन के मामले तक सीमित रहने के लिए कहा गया । उन्हें इस मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया कि मूल्य नीति, लागत नीति, सची नीति आदि क्या होगी ? हालांकि 20 सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र श्रमिकों के प्रबन्ध में योगदान के बारे में है फिर भी इस पर ध्य ान नहीं दिया जा रहा ।

यदि सरकार यह विधेयक पास कर देती है तो उसके बाद हम सबका यह कर्त्तव्य है कि हम केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों से इस विषय पर चर्चा करें ।

गत तीन वर्षों से 20 प्रतिशत बोनस दिया जा रहा है । इस वर्ष रिकार्ड लाभ के बावजूद भी 4 प्रतिशत से अधिक बोनस नहीं दिया जा रहा है । यदि सरकार को यह डर है कि नकद बोनस देने से मुद्रास्फीति हो सकती है तो 8.33 प्रतिशत बोनस में से 4 प्रतिशत बोनस नकद तथा शेष भविष्य निधि लेखे में डाला जा सकता है । जिस प्रकार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य जमा योजना शुरू की है, उसी प्रकार बोनस की अदायगी के लिए भी ऐसी ही योजना क्यों नहीं शुरू की जाती ? आपात स्थिति में यदि आप अनुशासन की बात करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अनुशासन केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं अपितु नियोक्ताओं के लिए भी होना चाहिए आपात स्थिति की घोषणा के छह महीने बाद आज आप यह विधेयक ला रहे हैं जबकि मालिको द्वारा कारखाना बंद नहीं किया जा सकता, कर्मचारियो की छंटनी नहीं की जा सकती, उनकी जबरी छुट्टी नहीं की जा सकती तब तक , जब तक कि सरकार अपनी अनुमति न दे दे । क्या आपने नियोक्ताओं के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया है जैसा कि कर्मचारियों के साथ

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

किया है । आपका अनुशासन कर्मचारियों विद्यार्थियों, इत्यादि सबके लिए है लेकिन एकाधिकार क्षेत्र के पूंजीपतियों के लिए नहीं ।

जहां तक बहुराष्ट्रीय निगमों का सम्बन्ध है यदि आप मिस्टर ओखेल फ़ीमैन का भाषण पढ़ें तो उसमें कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय निगमों को हर क्षेत्र में कार्य करने दिया जाये । पहले ही हम टाटा बन्धुओं और बिरला बन्धुओं के नीचे दबे हैं अगर बहुराष्ट्रीय निगम आ जायें तो देश का भाग्य क्या होगा ?

आप बोनस के प्रश्न को समाप्त हो गया न समझिये । प्रति वर्ष दुर्गा पूजा, दीवाली य पोंगल इत्यादि त्योहार आते हैं। इन त्योहारों का हमारे सामाजिक जीवन में कुछ अर्थ है। इन त्योहारों पर खर्च होता ही है। लोग इन त्योहारों पर परम्परागत बोनस के आदि हो चुके हैं। आप बेशक विधेयक पास कर दीजियेग बाद में सभी यूनियनों के साथ मिलकर इस बात पर विचार कीजिये कि क्या कर्मचारियों को उनकी देय राशि देने के सम्बन्ध में कुछ ठोस उपाय किये जा सकते हैं ।

हमें ऐसा लगने लगा है कि धीरे-धीरे बोनस को लाभ से संबद्ध नहीं रखा जाएगा और श्रमिकों से कहा जाएगा कि बोनस का उत्पादन और उत्पादिता से सम्बन्ध है । इसलिये संकल्प को वापिस लेने का मेरे सामने कोई कारण नहीं है । हम, सरकार ने जो कहा है और किया है, उससे सर्वथा असन्तुष्ट हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 11) का निरनुमोदन करती है ।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 38 : विपक्ष में 191

Ayes 38 : Noes 191

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सी० के० चन्द्रप्पन का संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 1 was put & negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No 2 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड संख्या 2 लेंगे ।

खण्ड 2

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं संशोधन संख्या 23 और 24 प्रस्तुत करता हूं । मेरा संशोधन पंक्ति 11 के सम्बन्ध में हैं । मैं चाहता हूं कि 'लाभ के आधार पर' के स्थान पर 'लाभ को ध्यान में रखते हुये न तथा उत्पादन और उत्पादिका के आधार पर' के स्थान पर 'हानि' शब्द रखा जाये ।

कर्मचारियों को यह न्यूनतम बोनस बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद मिला है और अब आप उसे भी छीन रहे हैं । साथ ही आपने बोनस को उत्पादन के साथ संबद्ध किया है । जूट मिलों तथा इंजीनियरी की वस्तुयें बनाने वाले कारखानों में उत्पादन के आधार पर वेतन दिया जाता है नाकि दैनिक मजूरी के आधार पर फिर आपने अधिकतम उत्पादन बोनस पर भी सीमा लगा दी है । यह कहा गया है कि कर्मचारियों को 20 प्रतिशत से अधिक नहीं मिलेगा । इसीलिये मेरा मंत्री महोदय स अनुरोध है कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करें और मेरा संशोधन स्वीकार करें ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 23 और 24 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए :

Amendment Nos. 23 and 24 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खण्ड 4

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या 8 प्रस्युत करता हूं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (विवलोन) : मेरा संशोधन संख्या 18 भी इसी बारे में है मैं चाहता हूं कि बैंककारी कम्पनियों को भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, 5 और 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 4, 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 4, 5 and 6 were added to the Bill.

खण्ड 7

श्री इराज्मु द सेकैरा (मारमगोआ) : मैं संशोधन संख्या 3, 4 और 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कनपुर) : मैं संशोधन संख्या 9 और 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं संशोधन संख्या 19 और 20 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीनेन भट्टा चार्य (सीरमपुर) : मैं संशोधन संख्या 25, 26, 27, 28 और 29 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इराज्मु द सेकैरा : यदि सरकार बोनस को उत्पादिकता से सम्बद्ध करना चाहती है तो प्रावधान योग्य न्यूनतम अतिरिक्त धनराशि का निर्धारण करते समय गत वर्ष की हानि को न जोड़ा जाये क्योंकि यदि कम्पनी में इस वर्ष लाभ हुआ है तो इसका अर्थ है कि श्रमिकों ने अधिक उत्पादन किया है।

फिर बोनस को उत्पादिकता से सम्बद्ध करने पर 20 प्रतिशत अधिकतम सीमा लगाना कतई बेइमानी है क्योंकि उत्पादन पर किस प्रकार सीमा लगाई जा सकती है, जब तक मंत्री महोदय 20 प्रतिशत के प्रतिबन्ध को नहीं हटाते तब तक वे यह नहीं कह सकते कि बोनस को उत्पादन अथवा उत्पादिकता से सम्बद्ध किया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 9 में पंक्ति 10 से 19 को बदलना चाहता हूं। प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक लेखा वर्ष में 8.33 प्रतिशत या 100 रुपये जो अधिक हो, बोनस के रूप में दे। इस बारे में विधेयक में संशोधन किया जाए।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : Various Companies are earning huge profits and it is not fair to limit the minimum bonus to 4 per cent. It should be raised to 10 per cent. amongst the workers which ultimately will affect production and the implementation of 20 point economic programme. Government should not therefore reduce the existing quantum of bonus.

My other amendment seeks to raise the minimum amount of bonus from Rs. 100 to Rs. 250. Further, the words "subject to a maximum of 20 per cent of salary and wages" should also be deleted.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) Government has tried to amend section 10 of the Principal Act. This should be omitted because it is vague. I suggest that 8.33 per cent or Rs. 100 which ever is more should be given to workers and that it should be without any conditions. It is after a great struggle that workers have been able to obtain a minimum bonus of 8.33 per cent and now the Government wants to take it away, which is not fair. It will create resentment.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं संशोधन संख्या 29 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । कुछ दिन पहले समान वेतन विधेयक पारित किया गया था । उसके अनुसार उन मजदुरों को कम बोनस मिलेगा जिनकी आयु अभी 15 वर्ष की नहीं हुई है । यद्यपि वह एक वयस्क मजदूर की तरह ही कार्य करते हैं या उसी प्रकार का कार्य करते हों जो कि 15 वर्ष से अधिक आयु वाला मजदूर करता है । 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को रोजगार देने की कानून में मनाही है । परन्तु इस विधेयक के अनुसार नियोजक को 15 वर्ष से कम आयु के लड़के को रोजगार देने की मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही उसे वयस्क की तुलना में कम बोनस देने की भी व्यवस्था की गई है । इन सब बातों का क्या अर्थ है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : समान वेतन विधेयक का उद्देश्य स्त्री तथा पुरुष के बीच वेतन की समानता लाना था । उसका उद्देश्य 15 वर्ष की आयु से कम तथा वयस्क मजदूरों के बीच वेतन की समानता को लाना था ।

इस कानून की अन्य बातों के अलावा धारा 19 में यह व्यवस्था है कि यदि सम्बद्ध पार्टियों के बीच कोई समझौता या करार हो जाये तो उन पर बोनस विधेयक के अन्य उपबन्ध लागू नहीं होंगे । यह सम्पूर्ण कानन मुख्य रूप से दो बातों पर आधारित है जिनमें से एक लाभ है तो दूसरी उत्पादन और उत्पादिकता । क्या फर्म को लाभ हुआ या नहीं इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । यह धारा मुख्य रूप से उत्पादन या उत्पादिकता पर आधारित है ।

श्री इराज्मु द सेकैरा : विधेयक के एक खण्ड के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि कोई नियोजक की गई व्यवस्था से अधिक भुगतान करता है तो उस अधिक भुगतान के लिये आयकर की कटौती नहीं की जानी चाहिये । नियोजक उसके लिये करार कर सकता है परन्तु वह आयकर में कटौती करने का दावा नहीं कर सकता ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : कानून में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि 20 प्रतिशत से अधिक के लिये किसी प्रकार का करार नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 9 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3, 4, 5, 9, 10, 25, 26, 28, 29 और 33 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 3, 4, 5, 9, 10, 25, 26, 28, 29, and 33 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 was added to the Bill

खण्ड 8

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 11 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 9 and 10 were added to the Bill.

खण्ड 11

श्री इराज्मु द सैंकैरा : मैं संशोधन संख्या 6 और 7 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 12 पेश करता हू।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं संशोधन संख्या 21 पेश करता हूं।

श्री इराज्मु द सेकैरा : यह संशोधन भी मजदूरों को वास्तविक रूप में दी जाने वाली धनराशि से सम्बन्धित है। मेरा सुझाव है कि 20 प्रतिशत की सीमा हटाई जाये।

मन्त्री महोदय ने 20 प्रतिशत की सीमा बनाये रखने के औचित्य का कारण यह बताया है कि राष्ट्रीय हित में धन को खपत के लिए वितरित नहीं किया जाना चाहिये। यह तर्क तो बचकाना सा लगता है क्योंकि क्या सरकार हमें यह गारंटी दे सकती है कि यदि इस रुपये को नियोजकों के पास ही रहने दिया जाये तो वे उसका उपयोग सीधे मजदूरों में बांटने की अपेक्षा किसी अधिक अवांछनीय कार्य में नहीं लगायेंगे ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने कहा था कि यदि कुछ पैसा फ़ालतू हुआ तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक मजदूर को बोनस मिलने का मौका मिल सकता है और विधेयक की इस व्यवस्था का स्वागत किया जाना चाहिये। बोनस की अदायगी हेतु इस चौथे लेखा वर्ष तक, जिसमें वह वर्ष भी शामिल है, परवर्ती लेखा वर्षों में समंजन के लिए आगे ले जाया जा सकता है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मेरा संशोधन उन कम्पनियों के बारे में है जो लाभ कमा रही थीं और अब भी लाभ कमा रही हैं। धारा 15(1) के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि अतिरिक्त धन राशि का समंजन किया जा सकता है परन्तु यह समंजन कुछ समय के लिए किया जाता है और उस समय में नियोजक दिवालिया हो जाता है, तो मजदूरों को कुछ नहीं मिल पाता। वह तीन या चार वर्षों के बाद समजंन के लिए अतिरिक्त अधिशेष बन जाता है और यदि मजदूर यह निर्णय करता है कि उसे अन्य सुविधाओं के लिए उपयोग में लाया जा सके, तो इसकी अनुमति दी जानी चाहिये।

समंजित अतिरिक्त धनराशि के लिए बैंक में अलग से खाता खोला जाना चाहिये ताकि नियोजक उस राशि का उपयोग न कर सके। बोनस देने के बाद जो भी अधिशेष बचे, उसे बैंक के अलग खाते में रखा जाना चाहिये। इसको ध्यान में रखते हुए नई धारा 15(1)(क) जोड़ी जानी चाहिये। यदि भावी वर्षों में बोनस के लिए समंजित राशि का किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो इसे दुर्विनियोजन समझा जाना चाहिये तथा नियोजक को भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सजा दी जानी चाहिये।

मजदूरों को लाभों से वंचित क्यों रखा जाता है और नियोजकों को लाभों का दुरुपयोग क्यों करने दिया जाता है ? तीन चार वर्ष के बाद यदि कुछ धन एकत्र हो जाता है और मजदूर बहुमत द्वारा यह निर्णय करते हैं कि इसे कल्याण कार्यों पर लगाया जाये तो उसकी स्वीकृति दी जानी चाहिये।

श्री रघुनाथ रेड्डी : आवंटनीय अधिशेष राशि की सम्पूर्ण अवधारण 'आगे ले जाने' के सिद्धान्त पर आधारित है। किसी वर्ष में हानि तो किसी वर्ष में लाभ हो सकता है। आवंटनीय अतिरिक्त राशि की धारणा 'आगे ले जाने' के सिद्धान्त पर आधारित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री इराज्मुद से कैरा द्वारा पेश किये गये संशोधन सख्या 6 और 7 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 और 7 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 6 and 7 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री श्रीकान्तन नायर द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 12 और 21 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 और 21 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 12 and 21 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 11 और 12 से 18 एक साथ लिये जाते हैं। खण्ड 12 से 18 पर कोई संशोधन नहीं है। मैं उन्हें मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

कि खण्ड 11 और 12 से 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 11 और 12 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 11 and 12 to 18 were added to the Bill.

खण्ड 19

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 13 और 14 पेश करता हूं।

श्री दी नेन भट्टाचार्य : मैं संशोधन संख्या 30 पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 31 वही है जो 14 है। श्री राम सिंह भाई का संशोधन संख्या 35 भी वही है।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : There are various forms of bonus, such as, production bonus productivity bonus and attendance bonus. But here the attendance bonus has not been taken into account. If Government have the intention to stop even the production bonus against their own commitment, it is most unfair.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

If workers are giving larger production with the same resources and capital, why Government should obstruct the payment of additional bonus to workers ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने अपने संशोधन में इन लाइनों को निकालने का सुझाव दिया है "अधिनियम के अन्तर्गत लाभों के आधार पर अथवा उत्पादन या उत्पादिकता के आधार पर।" इस खण्ड के लाये जाने तथा इसे उत्पादिकता तथा उत्पादन से जोड़ करके सरकार ने भारी भूल की है। फ़िर, यह व्यवस्था भी हटाई जानी चाहिये कि कर्मचारियों को वेतन और मजूरी के 20 प्रतिशत से अधिक बोनस की अदायगी का हक नहीं होगा, कोई सीमा नहीं रखी जानी चाहिये। यदि हम समझौते द्वारा 22 अथवा 23 प्रतिशत तय कर लेते हैं तो इसमें क्या हानि थी? इस बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। यदि नियोजक देना चाहते हैं अथवा मजदूर संघों के साथ निर्धारित सीमा से अधिक का कोई समझौता करते हैं तो सरकार को इसे नहीं रोकना चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अब सरकार बोनस को उत्पादन और उत्पादिकता के साथ जोड़ रही है। बार बार यह बताया गया है कि यहां पर उत्पादन बोनस की पद्धति है । क्या सरकार अन्य सभी बोनस वापस लेकर केवल एक प्रकार का बोनस देना चाहती है जिसे लाभ और उत्पादन से जोड़ा जायेगा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक प्रोत्साहन योजनाओं का प्रश्न है, वे इस कानून के अन्तर्गत नहीं आतीं। प्रोत्साहन योजनाएं अब भी चलती रहेंगी। इस खण्ड के अन्तर्गत लाभ उत्पादन और उत्पादिकता से पृथक किया गया है। लाभ उत्पादन अथवा उत्पादिकता के आधार पर होता है। बात केवल यह है कि बोनस की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत है । यदि सम्बन्धित पक्षों में यह समझौता हो जाता है कि लाभ में हिस्सा न लिया जाये तब इस पर समझौता हो सकता है । वे अपने सिद्धान्त स्वयं बना सकते हैं। मजदूर संघ उत्पादन या उत्पादिकता के आधार पर बोनस निर्धारित करने के सिद्धान्त बना सकते हैं। कानून इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 19 के सभी संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13, 14 और 30 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 13, 14 and 30 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 19 was added to the Bill.

खण्ड 20

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 15 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 15 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 15 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 20 was added to the Bill.

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 21 was added to the Bill.

खण्ड 22

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 16 पेश करता हूं। मैं इस बात पर पुनः जोर देना चाहता हूं कि सरकार को बोनस के मामले में पारस्परिक लाभों के आधार पर सौदेबाजी में रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इस बारे में कई ऐसे समझौते हुए हैं और जब जब ऐसे समझौते हुए हैं तब बोनस के मामले को लेकर कोई रोष व्यक्त नहीं किया गया अथवा आन्दोलन नहीं हुआ। मामला शान्तिपूर्ण निपटाया गया। कई नियोजकों को भय था कि अन्त में इसका औद्योगिक सम्बन्धों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं अपने संशोधन पर आग्रह करता हूं।

श्री एस०एम०बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि उन करारों का क्या होगा जो सरकारी क्षेत्र के निगमों तथा कर्मचारियों के साथ हुए थे ? उस करार का क्या होगा जो जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ चार वर्ष पूर्व हुआ था ? यह एक प्रकार का एक-मुश्त करार था जिसमें 16 प्रतिशत बोनस निर्धारित किया गया था। इण्डियन आक्सीजन के साथ करार का क्या हुआ? एच० एम० टी० पिंजौर में 1973–74 में जब लाभ केवल 78 लाख रुपये था तो उन्हें 20 प्रतिशत लाभ मिला, परन्तु जब लाभ 2 करोड़ 38 लाख रुपये था तो उन्हें 4 प्रतिशत बोनस दिया गया। क्या यह औद्योगिक सम्बन्धों के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यदि श्री इन्द्रजीत गुप्त का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो इस विधेयक के उपबन्धों की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इस विधेयक अथवा अधिनियम के उपबन्ध जीवन बीमा निगम पर लागू नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 16 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 28; विपक्ष में 186.

Ayes 28; Noes 186

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 22 से 28 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 22 से 28 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 22 to 28 were added to the Bill.

खण्ड 29

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 17 पेश करता हूं।

श्री इराज्मु-द-सेकैरा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस खंड में बताया गया है कि यदि कोई नियोजक अधिनियम में किये गये उपबन्ध से अपने कर्मचारी को अधिक देता है तो उसे उसकी आयकर रिर्टन से फालतू दिये गये धन से कटौती करने की अनुमति नहीं होगी। इसका प्रभाव यह होगा कि जिस आय पर पहले कर नहीं लगता था इस खण्ड के पूरःस्थापित होने से उस पर कर लग जायेगा। अतः यह कराधान वाला विधेयक है।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस उपबन्ध को लागू करने से आय पर कर लगाया जायेगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इसपर इस सभा में विचार नहीं किया जा सकता। अतः जब तक खण्ड 29 इस विधेयक से नहीं निकाला जाये तब तक इस पर विचार करना स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

श्री रघुनाथ रेड्डी : विधेयक में यह उपबन्ध अत्यधिक सावधानी बरतने के बाद ही किया जा रहा है और यह एक प्रकार की घोषणा मात्र है। इसके अन्तर्गत जितनी राशि आय में से काटी जायेगी वह देय बोनस से अधिक नहीं होगी। अतः इससे संविधान के अनुच्छेद 110(1)(क) के अर्थ के अधीन आयकर नियम में परिवर्तन नहीं होगा या संविधान के अनुच्छेद 274(1) के अर्थ के अधीन आयकर में फेर बदल नहीं होगा। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 117,(1) या अनुच्छेद 274 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि मंत्री महोदय तैयार वक्तव्य पढ़ जाते हैं और माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। दो या तीन प्रश्न उठाये गये हैं। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या इस विशेष खण्ड से मजदूरों को देय कराधानयोग्य विशिष्ट सीमा से अधिक भुगतान होगा या उनके वेतन में से कम किया जायेगा। यदि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत यह कराधान योग्य है तो क्या इससे कराधान का उल्लंघन नहीं होता जिससे संविधान का अनुच्छेद 110 यहां लागू होगा। इस प्रश्न को स्पष्ट किया जाना चाहिए और तभी मैं अपना विनिर्णय दे सकता हूं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह विषय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आने पर ही संविधान का अनुच्छेद 110 इस पर लागू हो सकता है। अतः यह पूर्णतः स्पष्टीकरणात्मक विषय है और जब बोनस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत यह कटौती नहीं आयेगी आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी। इसीलिए अनुच्छेद 117 या 274 के उपबन्धों को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : "कर" और "कुल आय" की परिभाषा आयकर अधिनियम में दी गई है । ये दोनों एक दूसरे से नितान्त भिन्न हैं । यदि यह विषय कुल आय के अन्तर्गत आता है तो अनुच्छेद 110 यहां लागू नहीं होगा । यदि यह "कर" के अन्तर्गत आता है तो हमें इसपर विचार करना होगा ।

यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत आती है जिसका संशोधन किया जाना है । यदि इस धारा के अन्तर्गत किसी निर्धारिती की कुल आय निर्धारित करने में उसमें से कुछ कटौतियों की अनुमति दी जाती है और कुछ सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई सांविधिक सीमा निर्धारित की जाती है तो इस संशोधन से निर्धारिती की कुल आय पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा । इससे "कर" की परिभाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

सर्वप्रथम यह निश्चित करना है कि क्या प्रस्तावित संशोधन "कर" की परिभाषा के अन्तर्गत आता है । धारा 36 के अन्तर्गत केवल वही कटौतियां आती हैं जिन्हें कुल आय निर्धारित करने की दृष्टि से कुल आय में से कम किया जाता है । अतः यह उपबन्ध अनुच्छेद 110 से किसी रूप में भी प्रभावित नहीं होता है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मंत्री महोदय ने कहा है कि जहां तक कराधान का सम्बन्ध है यह संशोधन स्पष्टीकरणात्मक ही है । अतः इस संशोधन के सम्बन्ध में कोई भी मामला जो आकस्मिक हो "वित्त विधेयक" की परिभाषा के अन्तर्गत आ जायेगा । अतः श्री रेड्डी का वक्तव्य "कर" के मामले से सम्बन्धित है और इसीलिए यह वित्त विधेयक के अन्तर्गत आयेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह अनुमान तक नहीं लगाया था कि ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा । इस बात का निश्चय करना पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य नहीं है कि क्या यह मामला सांवैधानिक है अथवा असंवैधानिक । अतः मेरे पास केवल दो विकल्प हैं सभा की सम्मत्ति ली जाये । सभा इस खण्ड पर ध्यान से विचार करने के लिए मेरे साथ सहयोग करे । यदि आप यह नहीं चाहते हैं तो मैं इसे सभा के समक्ष पेश कर दूंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि यह विधेयक "वित्त विधेयक" की परिभाषा के अन्तर्गत आता है तो ऐसी स्थिति में कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होता है । श्री साल्वे और श्री रघुनाथ रेड्डी के मतों में भेद है । विवस्था के प्रश्नों का उत्तर आपको ही देना है । इन पर विनिर्णय आप को ही अन्तिम माना जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विनिर्णय नहीं दे रहा हूं । मैं इन सभी कानूनी तर्कों को इतने छोटे से समय में समझा नहीं पा रहा हूं । उठाये गए संवैधानिक मामलों के बारे में मुझे बड़ी भारी शंका है । अतः में अपना विनिर्णय देने के बजाये इसे सभा के समक्ष रखना अधिक उचित समझता हूं ।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय इस विषय पर कुछ समय तक विचार करें । सत्ताधारी दल से भी मेरा यह अनुरोध है कि वह इस संवैधानिक

विधेयक को पास कराने की शीघ्रता न करें। हमें इस पर कुछ समय तक विचार करना चाहिए। यदि यह विधेयक एक या दो दिन बाद पास किया जाए तो कोई आसमान टूट कर नहीं गिर जायेगा ।

श्री इराज्मु-द-सेकैरा : मेरे विचार में यह वित्त विधेयक नहीं है। जब कि व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो विधि मंत्री को कोई उपाय करना होता है । यदि वह भी कोई उपाय नही सुझाते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि इसे वित्त विधेयक माना जाये और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की जाये। फिर कल इस पर विचार किया जाये ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : 'कुल आय' वह आय है जिसका उल्लेख इस अधिनियम की धारा 5 में किया गया है । जहां तक "कर" का सम्बन्ध है, यह 'आय कर' और 'अति कर' ही जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत देय है । अतः मेरा यह अनुरोध है कि इस विशेष उपबन्ध में 'आयकर' 'अतिकर' जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत देय है, को प्रभावित नहीं करता है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): यह मामला बहुत सरल है। अनुच्छेद 117 का ठीक ही उल्लेख किया गया है । लेकिन उप-खण्ड (ज) इसमें शामिल नहीं है । यह सुसंगत भाग है । यह हमें एक अन्य संगत अनुच्छेद की ओर ले जाता है । यह अनुच्छेद है 110 । यदि अनुच्छेद 110 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) यहां लागू होता है तो इसे कराधान या कर उत्पादन अथवा कर की अदायगी या परिवर्तन या कर का नियमन माना जाना चाहिए । जब तक यह उनमें से किसी एक के अन्तर्गत नहीं आए तो यह खण्ड लागू नहीं होगा ।

वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी ये कटौतियां बोनस के अधीन ही होगी जो वैध रूप से देय हैं । अतः इस उपबन्ध के द्वारा कोई नई बात नहीं जोड़ी गई है । यही ठीक ही कहा गया है कि यह स्पष्टीकरण मात्र ही है । यह ठीक ही कहा गया है कि वास्तव कर वही होता है जो कुल आय निर्धारित किए जाने पर ही लगाया जाता है । कुल आय निर्धारित करने में अधिनियम के अन्तर्गत कुछ कटौती की जाती है। बोनस भी कटौती है, यह कर का भुगतान नहीं है और न ही कर का परिवर्तन है अथवा कराधान भी नहीं है । कुल आय निर्धारित करते समय बोनस को आय में नहीं जोड़ा जायेगा क्योंकि यह अधिनियम के अन्तर्गत अनुमत नहीं है। यह नियमन भी नहीं है, क्योंकि देय कर वही कर है जो वैध कानूनी अनुमत कटौती है । अतः इस उपबन्ध को दृष्टि में रखते हुए अनुच्छेद 110 का खण्ड (क) इस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा । अतः जो आपत्ति उठाई गई है वह वैध आपत्ति नहीं है । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मैंने अब स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्री इराज्मु-द-सेकैरा : प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मुझे स्पष्ट हो जाए कि यह वित्त विधेयक है तो मैं उनसे यह अवश्य कहूंगा कि इस पर राष्ट्रपति की अनुमति ली जानी चाहिए । लेकिन जब मुझे ही यह स्पष्ट नहीं है तो मैं इसे सदन के समक्ष रखता हूं और इसे स्वीकार करना आप पर निर्भर करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 17 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 17 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 29 was added to the Bill

खण्ड 30 और 31 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 30 and 31 were added to the Bill

खण्ड 1

Shri Ramavatar Shastri : I move my amendment No. 32. The payment of bonus on the basis of profit or on the basis of production or productivity is not right. Bonus is the right of the labourers and that should not be denied. That should be treated like Deferrd wages. The workers in this respect should not be left on the mercy of the employers.

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस विषय पर लम्बी चर्चा हो चुकी है तथा मैं इस संशोधन को मानने की स्थिति में नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 32 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 32 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1 was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

The enacting formula and the title were added to the Bill

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये । "

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह एक मजदूर विरोधी विधेयक है । इसके द्वारा सरकार मजदूरों से वह न्यूनतम बोनस भी छीन लेना चाहती है जो उन्होंने काफी संघर्ष के बाद प्राप्त किया था ।

सरकार ने आपातस्थिति के बाद से दो बोनस दिए हैं । एक तो स्वैच्छा प्रकटन योजना के द्वारा करोड़ों रुपया वैध बना दिया तथा अब न्यूनतम बोनस समाप्त कर पूंजीपतियों को और सम्पन्न बनाया जा रहा है ।

ग्रिन्डले बैंक के कर्मचारियों को विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। इस अध्यादेश के जारी होने से पहले कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच 20 प्रतिशत बोनस देने का समझौता हुआ था परन्तु अब इस अध्यादेश के बाद प्रबन्धकों का कहना है कि वे इसे मानने को बाध्य नहीं है । निगमित क्षेत्र और काले धन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि वह अब भी बढ़ रहा है । फलस्वरूप कर्मचारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि अब सरकार ही उन्हें बोनस देने को मना करती है जबकि प्रबन्धक देना चाहते हैं । अतः इस विधेयक के द्वारा कर्मचारियों के न्यूनतम अधिकारों को भी छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

डा० रानेन सेन (बारासाट) : 4 फरवरी, 1976 का दिन भारतीय मजदूर वर्ग के जीवन का "सबसे काला दिन" होगा । आज के दिन उसके उस अधिकार को छीना गया है जो उसे काफी संघर्ष के बाद मिला था। सरकार ने भी इसके लिये अनुदेश जारी किए थे तथा न्यायालयों के निर्णय भी इसके पक्ष में हैं ।

इस विधेयक के द्वारा बोनस को उत्पादन के साथ जोड़ा जा रहा है । उत्पादन की स्थिति पहले ही खराब है । जूट उद्योग में, जिसमें 2 लाख मजदूर लगे हैं, उत्पादन गिरता जा रहा है और मिल मालिक इसे और कम करना चाहते हैं । अब सोचिए यदि मजदूर उत्पादन बढ़ाना भी चाहें तो नहीं बढ़ा सकते । परिमाणतः उन्हें हानि होगी । ऐसा ही हरेक उद्योग में होगा ।

[डा० रानेन सेन]

श्री रेड्डी ने कहा है कि मजदूर संघ और मिल मालिक सांठ गांठ कर अधिक बोनस दे कर कम्पनी का परिसमापन तक कर सकते हैं । परन्तु ऐसा क्या आज तक कभी हुआ है । क्या ऐसा एक भी उदाहरण वे दे सकते हैं, जहां कम्पनी को इस प्रकार समाप्त कर दिया गया हो । हां, मजदूरो और सरकार का पैसा खाए जाने के अनेक उदाहरण हैं ।

अब भी कुछ दूरदर्शी मिल मालिक मजदूर संघों से समझौता करने को तैयार हैं । परन्तु इस विधेयक से और औद्योगिक सम्बन्ध खराब होंगे । अभी तो मजदूर चुप हैं क्योंकि यह सब अचानक हुआ है परन्तु वह दिन दूर नहीं जब उनमें इसकी प्रतिक्रिया हो । और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : हमारे देश में श्रम संसार भर से सबसे सस्ता है । फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि मजदूरों को लाभांश अथवा मजदूरी के रूप में दिए जाने वाले भुगतान से उच्च लागत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह विधेयक सरकार मजदूरों की देश भक्ति और बलिदान की भावना को देखते हुए बहुत सोच विचार के बाद लाई है ।

यह विधेयक देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया गया है । मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम मजदूरों के सामाजिक कल्याण का पूरा प्रयत्न करेंगे तथा अन्य सुविधाएं भी उन्हें देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided

पक्ष में 183 :	विपक्ष में 38
Ayes 183 :	Noes 38

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री दिनेन भट्टाचार्य : हम विरोध स्वरूप सदन से बाहर जाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विरोध स्वरूप हम सभा से जाते हैं।

(इसके पश्चात् श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री दीनेन भट्टाचार्य और कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गये)

(Shri Indrajit Gupta, Shri Dinen Bhattacharyya and some others members then left the House)

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : कुछ दिन पहले मैंने 6 तारीख को सभा की बैठक होने की सम्भावना बताई थी, तो उस दिन सभा बैठेगी और कोई भी गैर-सरकारी चर्चा उस दिन नहीं होगी। हम केवल सरकारी कार्य ही करेंगे।

सदस्यों की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBERS

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि अध्यक्ष को दिनांक 3 फ़रवरी, 1976 को निम्नलिखित दो तार मद्रास के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस कमिश्नर से प्राप्त हुए हैं :—

(1) तिरु पी० ए० स्वामीनाथन संसद् सदस्य, सुपुत्र तिरु अरमुगा मुदलियार, कोयम्बतूर जिला को आज 3–2–1976 को 11.00 बजे कोयम्बतूर जिला के पुलिस थाना पेस्मानाथुर के सब इंस्पेक्टर पुलिस द्वारा अन्ना समाधि कामराज सलाय मद्रास के सामने गिरफ्तार किया गया और उन्हें दिनांक 1–2–1976 का निरोध आदेश सी० एम० पी० संख्या 10/76 दिया गया जो कोयम्बतूर के कलक्टर द्वारा जारी किया गया था। उन्हें केन्द्रीय कारागार, कोयम्बतूर में रखे जाने के लिए सब इंस्पेक्टर पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर कोयम्बतूर ले जाया जा रहा है।"

(2) "मुझे आपको सादर सूचित करना है कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 31क (2) के साथ पठित धारा 32/ग के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैंने अपना कर्तव्य समझा है कि श्री मुरासोली मारन, संसद् सदस्य को नजरबन्द किया जाये। तद्नुसार, श्री मुरासोली मारन, संसद् सदस्य को 3-2-1976 को 14.00 बजे निरोधादेश दिया गया और उन्हें केन्द्रीय कारागार, मद्रास में 3–2–1976 को 14.45 बजे रखा गया।"

लोक-सभा (कालावधि विस्तारण) विधेयक

HOUSE OF THE PEOPLE (EXTENSION OF DURATION) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वर्तमान लोक सभा की कालावधि बढ़ाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[श्री एच० आर० गोखले]

1971 के आम चुनाव के बाद वर्तमान सभा की पहली बैठक 19 मार्च, 1971 को हुई थी। अतः संविधान के अनुच्छेद 83 के खण्ड 2 के अनुसार इस सभा की अवधि 18 मार्च, 1976 को समाप्त हो जायेगी। सामान्य स्थिति में नई लोक सभा के गठन के लिये निर्वाचन उस तिथि से पूर्व किया जाना आवश्यक है।

संविधान के अनुच्छेद 82 खण्ड 2 के अनुसार आपातस्थिति के दौरान संसद की कालावधि एक समय पर एक वर्ष के लिये, और अधिकतम आपातस्थिति के समाप्त होने के छः मास पश्चात तक बढ़ाई जा सकती है। और जैसा कि सभा को मालूम है 3 दिसम्बर, 1971 को बाहरी खतरे का सामना करने के लिये उद्घोषित आपात स्थिति तथा 25 जून, 1975 को आंतरिक सुरक्षा के लिये उद्घोषित आपातस्थिति अभी तक बनी हुई हैं। 1975 में देश को भयंकर संकट का सामना करना पड़ा है। सरकार ने प्रधान मंत्री के नेतृत्व में जनता को निराशा से बचाया है और उस में आत्मविश्वास पैदा किया है।

प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम दृढ़तापूर्वक क्रियान्वित किये जा रहे हैं और देश की आर्थिक स्थिति में निहित सुधार हुए हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति में भी सुधार हुआ है। राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासन का संचार भी हुआ है। राष्ट्र द्वारा की गई उपलब्धियों को समेकित तथा सुरक्षित करना आवश्यक है। इसके लिये आवश्यक है कि सभा की कालावधि एक वर्ष के लिये बढ़ायी जाये।

मैं विधेयक को सभा में विचार के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वर्तमान लोक सभा की कालावधि बढ़ाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : संविधान के उपबन्धों के दुरुपयोग का यह एक और ज्वलन्त उदाहरण है। विधेयक के कारणों और उद्देश्यों के कथन में विधेयक के कारण दर्शाने पड़ते हैं। मंत्री महोदय ने तथाकथित आपातस्थिति पर अधिक महत्व दिया है। जब कि वास्तव में कोई आपातस्थिति है नहीं। संविधान में निःसंदेह कालावधि बढ़ाने का उपबन्ध है परन्तु इन उपबन्धों का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। सरकार ने देश में शासन चलाने के लिये आपातकालीन उपबन्धों को साधारण उपबन्ध समझ लिया है। सत्ता लोलुप सरकार देश के सामान्य नागरिकों के अधिकारों से खिलवाड़ कर रही है। ऐसे संवैधानिक उपबन्ध जिनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, अब राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयोग में लाये जा रहे हैं। यह विधेयक इसका एक प्रमाण है।

जनता को यह बात भी स्पष्ट हो गयी है कि इस विधेयक का उद्देश्य यथापूर्व स्थिति बनाये रखना है। क्योंकि यह सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक हितों के अनुकूल है। सत्तारूढ़ दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संसद् से अपनी इच्छानुसार कार्य कराते रहना चाहता है।

इस देश की जनता के लिये यह बात दुःखदायी है कि सब कुछ जनता की भलाई के नाम पर किया जाता है। जब कि वास्तव में जनता के मौलिक तथा अन्य अधिकारों पर ही प्रहार किया जा रहा है। अभी अभी मंत्री महोदय ने कहा कि देश में सर्वत्र शान्ति है, कहीं भी किसी प्रकार के उपद्रव नहीं हैं। उत्पादन में वृद्धि हुई है। जनता में निराशा की भावना नहीं रही। परन्तु फिर भी सत्तारूढ़ दल लोगों का सामना नहीं करना चाहता।

कहा जाता है कि जनता उनके साथ है विरोधी दलो के साथ नहीं है। प्रचार से यह सिद्ध किया जा रहा है कि इस देश की जनता एक व्यक्ति की समर्थक है जोकि सत्तारूढ़ दल का नेता है। परन्तु जनता की राय नहीं जानी जाती। पश्चिम बंगाल में चाउ-एन-लाई की याद में शोक सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। चासनाला में मारे गये व्यक्तियों की याद में मौन जलूस की अनुमति नहीं दी गई। सभी प्रकाशनों, जलूसों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

सरकारी समर्थन प्राप्त डी० टी० सी० की बसों आदि को जलूसों में शामिल कर के यह सिद्ध करने की चेष्टा की जा रही है कि जनता सरकार के साथ है। जनता को अपने मतों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं दिया गया। समाचार पत्रों आदि का बेशर्मी से सरकार के पक्ष में उपयोग किया जा रहा है।

जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार नहीं दिया गया चाहे वे जनता का विश्वास खो चुके हैं। जनता ने हमें पांच वर्ष के लिये चुना था और हम इस अवधि को उससे परामर्श किये बिना बढ़ा रहे हैं। यदि 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिये अवधि बढ़ाने की जरूरत है तो सरकार जनता के पास क्यों नहीं जाती ?

यह कार्यवाही संविधान के नाम पर की जा रही है, परन्तु वास्तव में धीरे धीरे संविधान का हनन किया जा रहा है। अनुच्छेद 352 और 356 का खुले रूप में अपने दल के हितों की पूर्ति के लिये उपयोग किया जाता है।

अभी पिछले ही दिन अनुच्छेद 356 के अधीन तमिलनाडु में भी राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया है। यदि द्रुमुक की सरकार में जनता का विश्वास नहीं रहा था तो वहां के लोगों को मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। केन्द्र ने राज्यपाल से अपनी इच्छा के अनुसार रिपोर्ट मंगा कर वहां राष्ट्रपति का शासन क्यों लागू कर दिया है। पहले आपने कुछ आरोप गढ़ लिये तब आप उस पर निर्णायक बन बैठे और राष्ट्रपति शासन का निर्णय दे दिया। तमिलनाडु की जनता ने उन्हें पांच वर्ष के लिये चुना था। क्या आप 6 से 10 सप्ताह तक जनता की राय जानने के लिये प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

राज्य पाल इस देश में लिपिकों का कार्य कर रहे है और वे केन्द्र को एकाधिकार शक्तियां दे रहे है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

तथाकथित आपातस्थिति से पूर्व भी कई उप चुनावों को स्थगित किया गया था। त्रिवेन्द्रम में संसदीय चुनाव अंतिम समय पर क्यों रोक दिया गया ? पश्चिम बंगाल में तथा देश के अन्य भागों में इतने अधिक स्थान खाली क्यों रखे गये है। इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। वास्तव में जनता इनके विरुद्ध हो गई थी।

सरकार यह विधेयक चुनाव से बचने के लिये लाई है। यह कायरता और घबराहट का द्योतक है। सरकार मानती है कि उसके लिये अब जैसी सुखद स्थिति कभी नहीं रही और संविधान का घोर उल्लंघन करके सरकार अपना प्रभाव बनाये रखना चाहती है।

सत्ता रूढ़ दल का विचार है कि जनता देश की मालिक नहीं है, बल्कि सत्तारूढ़ दल ही देश का तथा जनता का मालिक है। यह जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिये लोकतन्त्र नहीं रहा है। सरकार जनता का ध्यान किये बिना यह लोकतन्त्र चलाना चाहती है। क्योंकि इसी में उसके हित की पूर्ति होती है।

3 दिसम्बर, 1971 को जब देश को कुछ बाहरी खतरा था तो आपातस्थिति की घोषणा की गई थी। परन्तु जवानों ने 13 दिनों में ही विजय प्राप्त की और बंगला देश को मुक्त कराया। इसके बाद भी जब देश म बाहरी खतरा बना हुआ था तो उस समय भी कुछ राज्यों में जिनमें सीमावर्ती पश्चिम बंगाल भी सम्मिलित है, चुनाव हुए थे। अब चुनाव न कराने का क्या औचित्य है ?

यह दावा किया गया है कि 1975 की आपातस्थिति की उद्घोषणा के बाद देश में दूध की नदियां बह रही है। यदि वास्तव में देश में शान्ति है, सरकार अपने कार्यक्रमों को पूरा कर रही है और कोई आन्तरिक गड़बड़ नहीं है तब आपातस्थिति की दूसरी उद्घोषणा करने का क्या औचित्य है। सरकार देश में चुनाव न कराने में इसका किस प्रकार उपयोग कर सकती है। हमारे गणतन्त्र के 26 वर्षों में हमें 10 वर्ष से अधिक समय तक आपात स्थिति में रहना पड़ा है। कांग्रेस शासन में आपातस्थिति सामान्य स्थिति बन गई है।

सत्तारूढ़ दल लोकतन्त्र की नई परिभाषा बनाने का प्रयास कर रहा है। एक व्यक्ति विशेष को देश के समतुल्य मान लिया गया है और देश को उस व्यक्ति के समान मान लिया गया है। हम विधेयक का विरोध करते है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को चार घण्टे दिये गये थे। उक्त समय 6.40 पर समाप्त हो जायेगा।

श्री के० रघुरामैया : मंत्री महोदय को 5 बजकर 30 मिनट पर बुलाया जाये।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : जो सदस्य इस समय चुनाव नहीं जीत सकते, वे चुनाव करानें को कह रहे है और इस विधेयक का विरोध कर रहे है। मैं समझता हूं कि यदि प्रधान मंत्री उचित समय पर चुनाव कराने के लिये कहती तो हमारा दल चुनाव जीत लेता। श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा तथा अन्य विरोधी नेता यह समझते हैं कि लोक सभा की अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए उन्हें 18 मार्च के बाद अपनी आत्मा की आवाज के अनुरूप कार्य करना चाहिए।

ये लोग प्रश्न कर रहे है कि क्या जनता की राय ले ली गई है ? यदि विपक्ष के सदस्य जनता की राय को भांप नहीं पाये तो मुझे कहना पड़ेगा कि उनकी आखें और कान नहीं है। आज देश की स्थिति ही नहीं बल्कि गुजरात की पंचायत के चुनाव परिणाम भी जनता की राय के द्योतक है। यदि इस कार्यवाही में कोई भी स्वार्थ पूर्ति होती तो मैं स्वयं ही इसका विरोध करता यदि आज चुनाव कराये जाते हैं तो हमारे दल के लगभग सभी सदस्य जीत कर आयेंगे और विरोधी सदस्य सभा से बाहर कर दिये जायेंगे। हम पार्टी के हितों की तुलना में राष्ट्र के हितों को अधिक महत्व दे रहे है।

जब हमारी पार्टी ने काश्मीर तथा देश का हित इसी बात में समझा कि राज्य की सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंप दी जाये तब हमारे दल ने सत्ता सौंप दी और अपना बहुमत होते हुए भी यह किया।

आपातस्थिति से देश का उत्पादन बढ़ा है और वितरण प्रणाली यथासम्भव पूरी क्षमता से कार्य कर रही है और देश में अनुशासन की भावना पैदा हुई है।

आज जनता भली प्रकार समझ गई है कि प्रतिपक्षी किस प्रकार की राजनीतिक चालें चल रहे हैं। अपातस्थिति में जनता का मूलभूत अधिकारों पर अकुंश लगा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परन्तु आम लोगों ने इसका विरोध नहीं किया।

आप भाषण के मौलिक अधिकार की बात करते है। न्यायालय में जाने के अधिकार की बात करते हैं। परन्तु जनसाधारण पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।

यदि आज चुनाव होते हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम फिर से सत्तारूढ़ होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति से खतरा है कि कहीं आपातस्थिति के लाभों में हाथ न धोने पड़ें। हम आपातस्थिति के लाभों को एकीकृत करना चाहते हैं। इसलि येहमने चुनावों के स्थगन का प्रस्ताव रखा है।

मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि लोगों से यह पूछा जाय कि क्या वे चुनाव चाहते हैं और उनके साथ आपातस्थिति से प्राप्त सभी लाभ खोना चाहते हैं या चुनावों को एक वर्ष तक स्थगित करना चाहते हैं जिससे नई अर्थव्यवस्था के लिए वातावरण पैदा किया जा सके तो वे चुनाव स्थगित कराना चाहेंगे। इसके लिए स्पष्ट प्रमाण भी हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे देश का लाभ होगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकता-उतर-पूर्व) : मंत्री महोदय के संविधान के अनुच्छेद को उद्धृत करते हुए उद्देश्य और कारणों को बताने वाले वक्तव्य को पुन: पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं किया है। क्या सरकार यह भी नहीं समझ सकती कि देशवासी स्पष्ट रूप से यह जानना चाहेंगे कि लोक सभा की कालावधि क्यों बढ़ायी जा रही है ? इससे सदस्यगण चुनाव के झझंट से बच सकते हैं परन्तु यह ठीक नहीं है। देश को इस मामले पर सिद्धान्तों के आधार पर निर्णय लेना चाहिये। सरकार लोक सभा की अवधि बढ़ाये जाने के सही कारण क्यों नहीं बताना चाहती ? संसद् की कालावधि को बढ़ाना एक असाधारण बात है। सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त असाधारण शक्ति का प्रयोग कर रही है। सामान्यत: इस बात को कोई भी नहीं चाहेगा कि लोक सभा जो एक निर्वाचित सभा है, कि कालावधि बढ़ाई जाये।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

यदि इसे बढ़ाया जाता है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसके लिए कुछ विशेष कारण बताने पड़ते है । सामान्यत संसद जितनी अवधि के लिए चुनी गई है उससे अधिक नहीं चलनी चाहिए । इसकी अवधि बढ़ाने के कुछ असाधारण कारण हो सकते हैं लेकिन सरकार ऐसा क्यों सोचती है कि लोगों का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी काम को करने के लिए कारण बताने के लिए वह बाध्य नहीं है ?

यह सच है कि गत वर्ष एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिसके कारण आपातस्थिति लागू की गई । आपातस्थिति की घोषणा के साथ कुछ कदम उठाने आवश्यक थे और हम यह बात स्वीकार करने को तैयार है कि गत वर्ष लागू की गई आपातस्थिति अभी समाप्त नहीं हुई है और इसलिए हम आपातस्थिति की अवधि बढ़ाने के लिए पहले से सहमत हो चुके हैं परन्तु हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि क्या आपातस्थिति के लागू रहते हुए इस समय चुनाव नहीं कराये जा सकते ? सरकार ने बार बार यह घोषणा की है कि आपात-स्थिति के रहते भी चुनाव कराने में कोई रोक नहीं है । यदि 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए लोक सभा की कालावधि बढ़ाई जाती है तो यह बात समझ में आ सकती है । परन्तु सरकार ऐसी कोई बात नहीं कहती । चुनाव स्थगित करने के औचित्य को तभी सिद्ध किया जा सकता है जब राष्ट्र की सभी ताकतें उन समस्याओं को हल करने के लिए एक हो जायें जिनके कारण आपात स्थिति लागू की गई थी । मंत्री महोदय ने उस मौलिक प्रश्न पर कोई प्रकाश नहीं डाला है ।

अब 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने और प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मुकाबला करने के काम को गम्भीरतापूर्वक किया जायेगा और सरकार को बताना होगा कि वह नौकरशाही को कैसे नियंत्रित कर रही है । नौकरशाही वास्तविक क्रियान्वयन में बाधा पैदा करती है ।

मुझे पता चला है कि छिन्दवाड़ा कोयला खान में 1000 मजदूरों को शिफ्ट प्रणाली के बारे में विवाद के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रबन्धक अपनी मनमानी कर रहे हैं । विभिन्न राज्यों में हजारों शन्तिपूर्ण भूख हड़ताल करने वालों को बोनस के प्रश्न को लेकर गिरफ्तार किया गया है और भिलाई में जिला कलैक्टर ने भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत एक प्रैस के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है । इस प्रैस ने बोनस के प्रश्न को लेकर भूख हड़ताल सम्बन्धी एक घोषणा प्रकाशित की थी ।

अत: यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार लोगों को अपने इरादों के बारे में स्पष्ट नहीं बता रही ।

Shri Vasant Sathe (Akola) A complaint has been made that no reasons have been given for postponing the elections. The elections are being postponed because we cannot go to the people with promises ; we will have to go to them with performance. If elections are held their will be speeches ; meetings and oteer propaganda and the entire at mospheae will be of talks and all work will come to a stop. If this is allowed to happen then we will not be able to fullfill our promises to the people put forward in the form of 20 point programme. This Bill, which seeks to extena the tenure of Lok Sabha by one year, only aims at creating the night atmosphere for perfomance. Therefore, it should be universally supported, so that we can do something for the good of the people and the country.

Prof. Sher Singh (Jhajjar) : It has been said in the past that since the representatives of the people are elected for a period of five years it will be wrong to cut short their tenure. It means that once people elect their representativeswe will have to bear with them for five years even if they go astray. But one will like to know as to what should the people do after the expiry of that period. Have the people not got the right to change them after five years.

As regards the plea of performance, there is a period of five years to show the performance Throughout this period they did not do anything and now at the fag end of ths term they are reminded of performance. So this plea is nothing more than an excuse for extending their tenure for one year. In this way you are taking away the right of people.

It is also said that since there is emergency in the country it will not be proper to hold elections as the urity of the country may be endangered. I am at a loss to understand how the unity of the country will be endangered by holding the elections. In 1965, when the country was attacked the entire nation was one. Again in 1971 the country showed its unity. Today also the people are patriots and nationalists. Hence this danger is illusory.

Recently Panchayat and Municipal elections were held throughout Gujarat State. Why the general elections throughout the country cannot be held when elections in Gujarat could be held ?

We have been talking about the era of discipline and eradication of wasteful expenditure and social evils like fair elections without wasteful expenditure could therefore be held during this period. We should not only preach discipline but also practise it.

All political parties should observe discipline in this public life. If that is done, I see no difficulty in holding the elections in a disciplined way.

Shri Shashi Bhushan (Delhi-South) : He must resign. I am ready to contest elections against him.

Prof. Sher Singh : Nobody knows you there. You will not get any vote.

Sari Shashi Bhushan : So many people know me there.

Prof. Sher Singh : You should contest the elections from your own constituency.

Shri B. P. Maurya : He has dissociated himself from the party through which he was returned to Lok sabha. He should, therefore, resign. He has no moral right to speak on the floor of the House.

Prof. Sher Singh : I have not violated any principle of the congress party (*Interruptions*) I had opposed the emergency and suppression of people's liberty and that was the sole cause of my expulsion from the party. I had not opposed the policies of the congress party but it had renounced the democratic canons (*Interruptions*). I had reminded the congress about the democratic values (*Interruptions*).

I hope the hon. minister will reply to the questions raised by me.

Shri Paripoornanand Painuli (Theri-Garhwal) : I support this Bill. The forces of fascism are still active in the country and continuation of emergency is necessary. Elections are not possible during emergency.

No elections were held in England during the 1st and 2nd World Wars and the existing Parliaments continued to function. The term of Parliament was extended four times—in 1892. 1918, 1923 and 1939—in France.

The supporters of total revolution had surrendered the destiny of the nation to the forces of fascism. They were out to destabilise the country. Elections can not be held during the course of emergency.

I would like to stress that this is not an appropriate time for the lifting of emergency. Impact of emergency is commendable. We have overcome smuggling and hoarding.

The Governments of Tamilnadu and Madras had not properly implemented the emergency provisions in their states. Emergenciy can be lifted and elections held only when anti-social and anti-national elements are eliminated.

[Shri Paripoornand Painuli]

The 20-point programme aims at the upliftment of the down-trodden sections of society. We require more time to implement the 20-point programme. Continuation of emergency is, therefore, necessary.

*श्री ई० आर० कृष्णन--(सलेम) : 1971 में हमें लोगों ने पांच वर्ष की अवधि के लिए चुन कर यहां भेजा था। अब इस विधेयक द्वारा इस समय की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है और यह दलील दी जा रही है कि आपात स्थिति के दौरान चुनाव नहीं कराये जा सकते। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आपात स्थिति की घोषणा की गई थी और आपात स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए चुनाव स्थगित किये जा रहे हैं। इस विधेयक का सार यही है।

देश की 60 करोड़ जनता अनुभव करती है कि इसके बाद लोक सभा के लिए कोई चुनाव ही नहीं होंगे। कुछ लोग समझते हैं कि इस संसद की अवधि पांच वर्ष के लिए बढ़ाई जायेगी। फिर भी मैं अनुभव करता हूं कि प्रधान मंत्री को प्रजातंत्र के प्रति गूढ़ आस्था है।

हम सभी लोग जानते हैं कि तमिलनाडु विधान सभा का कार्यकाल 6 सप्ताह के बाद समाप्त होना था, फिर भी उसे 31 जनवरी को भंग कर दिया गया। 31 जनवरी को तमिलनाडु सरकार की बर्खास्तगी के बाद मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के निवास स्थानों पर पहरे लगाये गये और उनके टेलीफोन काट दिये गये। मेरा अपना टेलीफोन भी काट दिया गया था। लगभग 10,000 लोग कैद में हैं। तीन संसद् सदस्यों को भी जेल में डाला गया है।

द्राविड़ मुनेत्र कषगम की अहिंसा पर इतनी ही आस्था है जितनी कि महात्मा गांधी की रही है। 1962 में मूल्य वृद्धि आन्दोलन के मामले में 10000 द्रमुक कार्यकर्ता अरिगनार अन्ना के नेतृत्व में जेल गये। उन्हें 1963 में रिहा किया गया। इस बीच चीन का आक्रमण हुआ। वेलौर फोर्ट मैदान में अरिगनार अन्ना ने लाखों क्रुद्ध लोगों से विदेशी आक्रमण के दौरान शान्ति रहने के लिए अपील की जिसके फलस्वरुप वहां शांती रही।

लेकिन अब वहां की विधान सभा के भंग होने के चार दिन बाद हजारों लोग तथा 100 विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्य जेल में है। द्रमुक के संसद सदस्यों को भी जेल में डाला गया है। यह सब होते हुए भी वहां शान्ति है क्योंकि हम अरिगनार अन्ना के अनुयायी है।

एक ओर तो प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है और दूसरी ओर प्रजातंत्र की रक्षा के लिए इस सभा की कार्यवधि बढ़ायी जा रही है। प्रश्न तो यह है कि क्या प्रजातंत्र सचमुच नष्ट हो जाता यदि सरकार दो महीने और इंतजार करती।

एक ओर तो उस सभा की कार्यवधि बढ़ायी जा रही है किन्तु दूसरी ओर विधान सभा की कार्यवधि घटा दी गयी है।

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on english translation of the speech delivered in Tamil

द्रमुक सरकार जनता की सरकार थी और यह सरकार लोगों के आदेशों का पालन करती थी। अब इसे हटा दिया गया है। क्या यह प्रजातंत्र के प्रति न्याय है? आज मैं यहां हूं। मैं नहीं जानता कि कल किस जेल में हूंगा।

कहा गया है कि श्रीमती गांधी प्रजातंत्र की रक्षा कर रही हैं। लेकिन मेरा यह भाषण समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होगा। न जाने यह कैसी आजादी तथा कैसा प्रजातंत्र है। वहां की सरकार अहिंसा में विश्वास रखती थी।

हजारों लोगों को गिरफतार किया गया है। तमिलनाडू को कोई नुकसान न पहुंचाया जाये और वहां के लोगों की रक्षा की जाये।

अभी चार दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था कि देश की जनता कांग्रेस को ही वोट देगी क्योंकि कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास है। यदि वास्तव में स्थिति ऐसी ही है तो सरकार संसद् की कालावधि बढ़ाने की अपेक्षा चुनाव क्यों नहीं कराती?

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : असाधारण परिस्थितियों में यह अभूतपूर्व विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विधेयक के औचित्य को समझने के लिए हमें उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखना पड़ेगा जिनके अन्तर्गत आपातस्थिति की घोषणा करनी पड़ी।

श्री वसंत साठे पीठासीन हुए
[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

आपात स्थिति की घोषणा से पूर्व फासिस्टवादी शक्तियां वैधानिक रूप से बनी सरकारों को गिराने में लगी हुई थी। उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं को 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार करना पड़ा है। प्रतिक्रियावादी शक्तियों की गतिविधियां अभी भी लुक-छिप कर चल रही हैं। यदि 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये लोगों को निकट भविष्य में छोड़ा नहीं जाता, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या चुनाव करवाये जा सकते हैं? यदि ऐसी परिस्थितियों में सरकार चुनाव करवाने का निर्णय ले भी लेती तो विपक्ष वाले यही कहते कि हमारे नेता तो जेल में बंद पड़े हैं, इन परिस्थितियों में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है? वास्तव में विपक्ष की इसी आलोचना तथा आरोप को दृष्टिगत रखते हुए हमने लोक सभा के कार्यकाल की अवधि एक वर्ष और बढ़ाने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री इराज्मु-द-सेकैरा (मारमागोआ) : प्रस्तुत विधेयक संविधान की आड़ में शक्तियों के दुरूपयोग का ज्वलन्त उदाहरण है। श्री हीरेन मुकर्जी ने ठीक ही कहा है कि सरकार ने अपने वक्तव्य में लोक सभा की कालावधि बढ़ाने सम्बन्धी जो तर्क दिये हैं वे निराधार से हैं। वास्तव में कालावधि बढ़ाने का कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता। इस विधेयक से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार यह सरकार लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र के किसी भी अच्छे मूल्य को तहस-नहस करने पर तुली हुई है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा का कोई औचित्य नहीं था। उसे चालु रखने का भी कोई कारण नहीं है। सरकार का कहना है कि जनता ने आपातस्थिति का समर्थन

[श्री इराज्मु-द-सेकैरा]

किया है। मैं पूछता हूं कि यदि यह सत्य है तो सरकार ने दो लाख व्यक्तियों को जेल में क्यों बंद कर रखा है? अभी मेरे मित्र श्री गोस्वामी ने कहा कि यदि चुनाव करवाये जाते हैं तो कांग्रेस निश्चय ही जीतेगी और हम सब विपक्ष वाले हार जायेंगे। यदि वास्तव में स्थिति यही है तो फिर सरकार चुनाव क्यों नहीं कराती? इसी प्रकार श्री साठे ने कहा है कि चूंकि हम अभी तक जनता को किये गये वायदे पूरे नहीं कर पाये हैं, इसीलिए हम लोक सभा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाना चाहते हैं ताकि उस समय में वायदे पूरे किये जा सकें। यह कितनी विचित्र बात है? जो सरकार पांच वर्ष में अपने वायदे पूरे नहीं कर पाई, वह भला एक वर्ष में क्या कर लेगी? फिर यदि सरकार एक वर्ष में ऐसा न कर पाई तो क्या होगा? मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को समझेगी कि आखिर धैर्य की कोई सीमा होती है। ऐसा न हो कि जनता का धैर्य टूट जाये।

हमारे संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनका उपयोग निजी सुविधा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी लोकतंत्र इसी विश्वास पर जीवित रहता है कि कालावधि की समाप्ति पर पुनः चुनाव करवाये जायेंगे। जनता की अनुमति के बिना न तो सभा का और न ही सदस्यों का कोई मूल्य रह जाता है। अतः मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए, सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आपातस्थिति को समाप्त कर विपक्षी नेताओं को रिहा कर, 18 मार्च के बाद लोक सभा की कालावधि बढ़ाये बिना, लोगों के दरबार में उपस्थित हो तथा नये चुनाव करवाये।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : वर्तमान लोक सभा की कालावधि बढ़ाने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यह एक अच्छी बात है। हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था का उपबन्ध विद्यमान है कि आपातस्थिति में लोक सभा की कालावधि बढ़ाई जा सकती है। क्या यह विधेयक भी लगभग वैसा ही नहीं है जबकि 1970 में कालावधि समाप्त होने से पूर्व ही लोक सभा को भंग कर दिया गया था? कांग्रेस ने अपने चण्डीगढ़ के सत्र के दौरान इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श करने के उपरान्त ही यह विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं यहां यह स्पष्ट कर दूं कि हम जनता के दरबार में जाने से घबराते नहीं हैं। तथ्य तो यह है कि यदि आज भी चुनाव करवाये जायें तो कांग्रेस ही विजयी होगी। हम ऐसा अभी केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जनता तथा पिछड़े वर्गों की प्रगति का जो कार्य हमने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तगत आरम्भ किया है, उसे निरविघ्न रूप से कुछ समय तक जारी रखना चाहते हैं। कांग्रेस जब भी चुनावों के लिए मैदान में उतरी है, जनता ने उसे विजयी बनाया है।

अब जरा हम प्रजातंत्र का अर्थ समझने का प्रयत्न करें। महात्मा गांधी ने अपने एक संदेश में यह स्पष्ट किया है लोकतंत्र का अर्थ ही बहुमत के दृष्टिकोण का समर्थन है। लोकतंत्रीय शासन पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विशेष महत्व नहीं होता। मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है तथा उसके व्यक्तिगत आचरण पर समाज का अंकुश रखना अच्छा ही होता है। मैं यही स्पष्ट करना चाहता था।

Shri R.R. Sharma (Banda) : I have attentively heard the arguments of both sides. One thing is clear--that it was because of emergency that Government had to come forward with such a measure. This controversy comes to an end when we see article 83 of the constitution. It has been clearly provided that the tenure of Parliament could be extended while Emergency was in operation. So I think, there should not be any opposition to this measure which is well within the framework of constitution. It is a timely measure brought forth by the Government and I support it.

Regarding my resignation from Jan Sangh Party, I must say that I did so in accordance with the voice of my conscience. I think I have adopted the right course.

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस समय लोग आर्थिक लाभ चाहते हैं जबकि विरोधी दल राजनीतिक लाभ चाहते हैं। केवल कांग्रेस पार्टी ही लोगों को आर्थिक लाभ दे सकती है। इसी कारण आपातस्थिति की घोषणा के बाद कांग्रेस ने लोगों की भलाई के लिए यह आर्थिक कार्यक्रम अपनाया है।

1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली उस समय विदेशी शक्ति ने सभी प्रकार की बाधाएं खड़ी की थीं और अब आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने के मार्ग में फासिस्ट शक्तियां सभी प्रकार की बाधाएं पैदा कर रही हैं। आर्थिक कार्यक्रम को शुरू करने के बाद देश को थोड़ी सी अवधि में भारी लाभ हुआ है।

वर्तमान लोक सभा का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाये जाने का विरोध करते हुए विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल चुनाव हारने के डर से चुनाव नहीं करवा रहा है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। परन्तु इस समय लोगों को आर्थिक लाभों की आवश्यकता है। भारत में लोकतंत्रीय समाजवाद है। हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। यदि चुनाव अब कराये जाते हैं तो लोगों का ध्यान आर्थिक सुधारों से हट कर चुनावों की ओर लग जायेगा। विकास कार्यों में रत समूचा तंत्र चुनावों के चक्कर में पड़ जायेगा। अतः यदि हम इस एक वर्ष में विकास कार्यों से हट जायेंगे तो हम 10 वर्ष पिछड़ जायेंगे।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur) : Sir, I rise to support this Bill. If elections are held in a Parliamentary democracy, an atmosphere is created which leads to violence, tension and many other things. So long as emergency is in force it is not advisable to hold elections in the country. The waste of power, money and time during elections is not recouped during the period of five years. During elections an atmosphere is created in which even free movement is not possible. It is necessary to check wastage of time, money and power at this moment.

Many political leaders, M. Ps. and M.L.As. have been detained aftre the declaration of emergency. They cannot take part in elections. The atmosphere in the country is also not congenial for convassing by canditdates and for free and fair elections. This is not the proper time to hold elections.

I would like to suggest that elections to Rajya Sabha should also be postponed as many MLAs, who are entitled to Vote, are under detention and cannot take part in elections.

Therefore, I support the Bill for postponing elections to Lok Sabha.

Shri M. C. Daga (Pali) : This Bill has not been brought on account of any political motivation. Ruling party has no lust for power. This step has been taken in wider interest of the country in order to safeguard its unity and integrity

The opposition parties had brought anarchy and choos in the country. They were instigating the people for total revolution. They have succeeded in dissolving Gujarat Assembly and they wanted to dissolve Bihar Assembly also There were agitations, demonstrations and peace of the country had been threatened. Government had been compelled to declare emergency.

Let us not dissipate our energies on elections, but concentrate on welfare of weaker sections. This 20 point programme is for the people. Common people have supported it. The question is if elections are necessary or progress of the country is necessary. If elections are held, Congress would certainly win. But the Prime Minister has placed the country above the party. Following the emergency a large number of steps have been taken to eradicate corruption, bring discipline and increase production. Poor people in villages have been freed from debt. The country is progressing.

[Shri M. C. Daga]

This Bill is absolutely according to law and within the provisions of the constitution. Heaven will not fall if elections are postponed for one year. Let the progressive measure and social welfare measures which have been initiated within the 20-point programme be given a fair trial. Elections can be held later on.

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्माम): आचार्य विनोबा भावे द्वारा बुलाये गये आचार्यों के सम्मेलन में यह अनुभव किया गया है कि भारी संख्या में सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का नजरबन्द किया जाना, नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबन्ध लगाना, प्रेस सेंसरशिप, जिसमें संसदीय कार्यवाहियां भी शामिल हैं, राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। चुनाव कराकर सामान्य स्थिति लाना ही वांछनीय है। उन्होंने युवा पीढ़ी पर वर्तमान स्थिति के बनाये रखने के प्रभाव पर चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि इससे स्थिति और भी बिगड़ेगी। समूचे देश में असन्तोष है। यह मुख्य समस्या है और इसी कारण सरकार चुनाव कराने से डरती है। यद्यपि संसद् द्वारा हाल में कुछ कल्याणकारी विधान पास किये गये हैं परन्तु मुझे इस बात में सन्देह है कि उन्हें ईमानदारी तथा निष्ठा से क्रियान्वित किया जायेगा।

गत चुनावों में कांग्रेस ने द्रमुक दल के सदस्यों को पूरा समर्थन दिया था। अब उन्हें अपराधी घोषित किया गया है और उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये जा रहे हैं। अन्य कई नेताओं का भी यही हाल है। तथ्य यह है कि एक गलत निर्णय लेने से और भी गलत निर्णय लिये जाने लगते हैं। पहले आपातस्थिति की घोषणा की गई। इस कार्यवाही पर लोगों के रोष को दबाने के लिए कई अन्य पग उठाये गये हैं।

इस विधान को पेश करने से सत्तारूढ़ दल में दोष तथा डर की भावना झलकती है। आप ने हजारों लोगों को जेलों में बन्द कर दिया है। राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार को लोगों के दिलों से कायरता दूर करनी चाहिए ताकि वे स्वयं निर्णय ले सकें। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर): मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं। हमें देखना है कि देश, लोग और संविधान आगे बढ़े। हमने कई चुनाव देखे हैं। यह प्रक्रिया देश को एक ऐसी दिशा में ले जा रही है जिस पर राजनीतिक विचारकों तथा लोगों को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। अन्त में जनता की ही बात मानी जायेगी। कई चुनावों के बाद आपातस्थिति लागू की गई है और समूचा देश अनुशासनबद्ध है। प्रधान मंत्री देश को आर्थिक स्वतन्त्रता की ओर ले जा रही है और लोगों की यही इच्छा है। प्रधान मंत्री द्वारा लिया गया यह निर्णय सही है। प्रश्न यह है कि क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, इसी कारण लोक सभा की कालावधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा रही है। यह कोई राजनीतिक कार्यवाही नहीं है। हम कोई राजनीतिक लाभ उठाना नहीं चाहते। जनता की यही इच्छा है कि चुनाव कानूनों में कुछ सुधार किये जायें और लोगों की इच्छा प्रतिविम्बित करने के लिए चुनाव कानूनों में कुछ सुधार करना आवश्यक है। निर्वाचन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता की वास्तविक इच्छा का पता चल सके। विपक्ष ने संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताओं का दुरुपयोग किया है षड़यंत्र, नारेबाजी लोगों का शोषण और काला बाजारी करके असम्भव स्थिति पैदा कर देना स्वतंत्रता नहीं है। विधि मंत्री को देश की विशालता एवं भारी जनसंख्या का ध्यान रखना है। निर्वाचनों पर बहुत अधिक

धन व्यय होता है और इसलिए मेरा सुझाव है कि सभा की अवधि पांच वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : इस बात में कोई सन्देह नहीं कि संसदीय लोकतन्त्र में निर्वाचन का बहुत महत्व है। संविधान बनने के पश्चात् से देश में बराबर निर्वाचन होते रहे हैं। कांग्रेस कभी इससे पीछे नहीं हटी। सभा की अवधि बढ़ाने का कारण माननीय मंत्री बता चुके हैं; देश बड़ी गम्भीर स्थिति से गुजर रहा तथा बाहरी और अन्दरुनी खतरा बराबर मौजूद हैं।

हमारी प्रधान मंत्री ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के समक्ष चण्डीगढ़ में भाषण देते हुए कहा था कि यदि उन्हें राष्ट्रीय हित एवं पार्टी हित में से एक का चयन करना पड़े तो मैं राष्ट्रहित चुनूंगी। इसमें संदेह नहीं है कि यदि निर्वाचन होते हैं तो कांग्रेस पार्टी और अधिक बहुमत से जीतेगी। यह भी सम्भव है कि प्रधान मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा लागू किये गये सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों, के कारण बहुत सी विरोधी पार्टियों एवं ग्रुप अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। भारत के मतदाता इस बारे में सुनिश्चित हैं कि दल सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक ढ़ांचे के बिना संसदीय लोकतन्त्र चल नहीं सकता। संसदीय लोकतन्त्र आर्थिक समृद्धि के बिना निरर्थक है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को पूर्णतः कार्यान्वित किया जाये। मैं विपक्ष के सदस्य को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन से भयभीत नहीं है। स्थिति वास्तव में इसके विपरीत है।

इन कारणों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। विपक्षी सदस्यों को भी इसका समर्थन करना चाहिए।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : आज हम अत्यन्त अनैतिक एवं असंवैधानिक कार्यवाही करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें सभा की अवधि बढाने का अधिकार नहीं है। वास्तव में ऐसी कोई आपातस्थिति है नहीं। यह कार्यवाही सवर्था अनैतिक, अनावश्यक एवं असवैधानिक है।

विधि मंत्री ने सभा कि अवधि बढ़ाए जाने के लिये कोई दृढ़ तर्क नहीं दिया है। सरकार ने अपनी कमजोरी के कारण ही निर्वाचनों को विलम्बित किया है। संसद कानूनी प्रभुसता सम्पन्न संस्था है। सभा की अवधि बढ़ाने का विधेयक गम्भीर स्वार्थपरता एवं अदूरदर्शिता का है। प्रजातन्त्र में विश्वास करने वाले तो ऐसा सोच ही नहीं सकते। कहा गया है कि अवधि का विस्तारण आपातस्थिति की उपलब्धियों को समेकित करने के लिये किया गया है। इस बात का निर्णय जनता पर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता ? मुझे भय है कि एक वर्ष पश्चात् सरकार सभा की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ायेगी तथा यह क्रम चलता रहेगा। यह बात अभी देखने की है कि आपात-स्थिति से जनता को लाभ पहुंचा है अथवा नहीं।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I have a point of order. The parliament was dissolved after four years on the last occasion, and these people opposed that more also. How can they go both ways ?

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : जो कांग्रेसी सदस्य भी यह अनुभव करते हैं कि यह कार्यवाही गलत है उन्हें संसद् से त्यागपत्र दे देना चाहिए । मैं त्यागपत्र देने को उद्यत हूं यदि इस प्रकार रिक्त हुए स्थानों पर शीघ्र चुनाव कराए जाये ।

श्री नटवरलाल पटेल (मेहसाना) : श्री चटर्जी ने हमें लोकतन्त्र के सबक सिखाये । उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं क्योंकि उनका विश्वास लोकतन्त्रीय पद्धति में नहीं है ।

कांग्रेसी सदस्य सत्ता के नहीं जन सेवा के लिये कार्य कर रहे हैं । गुजरात की पंचायतों में चुनाव में हमें 80 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं । लोकतन्त्र में निर्वाचन का महत्व है । परन्तु निर्वाचिन ही सब कुछ नहीं है । श्री मावलंकर तथा अन्य सदस्यों को यह नहीं कहना चाहिए कि हमें निर्वाचन से भय है । गुजरात में निर्वाचित सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया गया था (व्यवधान) गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूर्णत: भंग हो गई है। कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को पीटा जा रहा है ।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : मैं इस विधेयक का बिना शर्त पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं । ये विधेयक देश की सुरक्षा एवं मजबूती के लिये लाया गया है । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आपातस्थिति की घोषणा करके 20 सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किया है ताकि देश को वदेशी हथकण्डों से बचाया जा सके । सभा की अवधि का विस्तारण निजी स्वार्थों के लिये नहीं अपितु पिछड़े लोगों के आर्थिक विकास के लिये किया जा रहा है । मैं अपनी पार्टी की ओर से तमिलनाडु में राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने का स्वागत करता हूं । तमिलनाडु के तथा पूरे भारत के भावी मंत्रियों एवं राजनीतिज्ञों ने तमिलनाडु में सत्ता का दुरुपयोग किया था । इससे हमें सबक सीखना चाहिए ।

मैं कल ही मद्रास से आया हूं । वहां के 100 प्रतिशत लोग राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने पर प्रसन्न हैं । जब स्थिति सामान्य हो जाए तब निर्वाचन कराये जायें और जो व्यक्ति जेलों में हैं उन्हें छोड़ा जाये ताकि स्वतन्त्र चुनाव हो सके ।

श्री एच० आर० गोखले : मुझे प्रसन्नता है कि न केवल कांग्रेसी अपितु विरोधी सदस्यों ने भी विधेयक का समर्थन किया है । जिन सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया है वे भी हृदय से इसके समर्थक हैं ।

श्री मावलंकर ने इसे असंवैधानिक एवं अनैतिक बताया है । यह असंवैधानिक किस प्रकार है, यह मेरी समझ में नहीं आता और न ही श्री मावलंकर ने समझाया है। संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है कि आपातस्थिति के चालू रहते सभा की अवधि का विस्तारण किया जा सकता है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि इस समय कोई आपातस्थिति नहीं है । ये ही लोग आपातस्थिति से पूर्व लोकतन्त्रीय पद्धति को समाप्त करने के लिये सभी प्रकार के उपाय बरतते रहे हैं ।

क्या हम भूल गये हैं कि गुजरात में एक निर्वाचित लोकप्रिय विधान सभा को इन व्यक्तियों द्वारा भंग करवाया गया था ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : सभी पुराने तर्क हैं ।

श्री एच० आर० गोखले : क्योंकि आज ये तर्क उन्हें असुविधाजनक लगते हैं ।

जानबूझकर ऐसा वातावरण तैयार किया गया कि लोकतन्त्र इस देश में चल न सके । ऐसे वातावरण के निर्माण में कुछ राजनीतिक पार्टीयों का बड़ा हाथ रहा है । उन्हें भारत विधी शक्तियों का समर्थन प्राप्त था ।

संसद में भी कोई कार्यवाही करना असम्भव बना दिया गया था । क्या यही लोकतन्त्र है ?

कुछ सदस्यों ने सामान्य स्थिति वापस लाने की मांग की है । क्या ऐसे सुझाव का यह अर्थ है जो स्थिति 25 जून से पूर्व थी वह सामान्य थी । वे हालात असामान्य थे । उनमें तो लोकतन्त्र का अस्तित्व ही खतरे में था ।

स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र आदि के नारे केवल इस विधेयक का विरोध करने के लिये लगाये जा रहे हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि देश में लोकतन्त्र को विनष्ट करने के लिये इनकी योजना थी ।

इन हालात में जून 1975 में आपातस्थिति घोषित की गई । यह एक ऐसी कार्यवाही थी जिसका पूर्व-उदाहरण नहीं मिलता । यह असामान्य कार्यवाही क्यों करनी पड़ी ? क्योंकि लोकतन्त्र की संरचना ही खतरे में पड़ गई थी ।

कहा जाता है कि वह स्थिति बदल गई है । निःसन्देह कुछ लोग तोड़-फोड़ की घटनाये करते थे वे सब इस स्थिति में नहीं हैं । जो शक्तियां अस्थिरता लाना चाहती थीं, तोड़-फोड़ और लोकतन्त्र को समाप्त करना चाहती थी वे अब भी कार्यरत हैं । हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रतिक्रियावादी शक्तियां पुनः सिर न उठा सकें; पुनः ऐसे हालात पैदा न कर दें जिनमें 25 जून, 1975 को आपातस्थिति घोषित करनी पड़ी थी ।

विधयक के उद्देश्यों एवं कारणों पर टिप्पणी की गई है । इसमें किसी विधेयक का कानून की दृष्टि से उद्देश्य बताया जाता है । विधेयक के राजनीतिक एवं आर्थिक पहलुओं पर सभा में चर्चा की जाती है तथा सरकार इनका स्पष्टीकरण करती है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने वापस बुलाने के अधिकार की चर्चा की है । मुझे विश्वास है कि यदि यह अधिकार होगा तो सर्व प्रथम उन मतदाता ही उन्हें तथा उनके साथियों को वापस बुलाएंगे ।

यह कहना गलत है कि जनता को दबाया जा रहा है तथा जनता आपातस्थिति का समर्थन नहीं करती । वस्तुस्थिति यह है कि नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लोगों ने आपातस्थिति, आर्थिक कार्यक्रमों एवं अनुशासन की भावना का स्वागत किया है ।

[श्री एच० आर० गोखले]

मेरे एक मित्र ने लोकतन्त्र की बात कही। मुझे आश्चर्य है कि उनका लोकतन्त्र पर कब से विश्वास हो गया। (**व्यवधान**)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं लोकतन्त्र में विश्वास करता हूं।

श्री एच० आर० गोखले : एक बात साफ है कि भारत जैसे 30 करोड़ मतदाताओं वाले देश में निर्वाचन से ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है जिससे मुद्रास्फिति जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। (**व्यवधान**)

चुनाव का अवसर मिलेगा और तब हम देख लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती परन्तु मैं समझता हूं कि वर्तमान समय कांग्रेस पार्टी के लिये सर्वाधिक अनुकूल है। यदि अब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी बहुत अधिक बहुमत से वापस आयेगी। (**व्यवधान**)

परन्तु वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का उद्देश्य चुनाव जीतना ही नहीं है। कई कारणों से यह समय निर्वाचन के लिये उपयुक्त नहीं है। कई विरोधी तथा निर्दलीय सदस्य भी इस विधेयक के पक्ष में है।

मैं इस विधयक को सभा के विचारर्थ पेश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वर्तमान लोक सभा की कालावधि बढ़ाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 191 : विपक्ष में 25

Ayes 191 : Noes 25
The motion was adopted

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम खंडवार चर्चा आरम्भ करते हैं।

खण्ड 2

श्री इराज्मु-द-सेकैरा (मारमागोआ) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 पेश करता हूं। मुझे खंड 2 के मसविदे को देख कर बहुत आचर्श्य हुआ है।

यदि सरकार के विचार में देश की स्थिति ऐसी है जिसके लिये लोक सभा की कालावधि बढ़ाना उचित हो तो उसे यह बात भी स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जब तक यह स्थिति रहती है लोक-

सभा भंग नहीं की जा सकती क्योंकि देश की सरकार बिना संसद के नहीं चल सकती । मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि सरकार इस सभा को उसी दशा में भंग कर सकती है जब निष्पक्ष और उचित चुनावों के लिये वातावरण हो, जो आपातकालीन स्थिति को समाप्त करने के बाद सम्भव हो सकता है ।

श्री एच० आर० गोखले : सभा की कालावधि अगले वर्ष 18 मार्च तक बढ़ायी गयी है । इस संशोधन के अनुसार सभा की कालावधि आपातकालीन स्थिति समाप्त होने के छः महीने के बाद तक रहेगी । यह अनुच्छेद 83 के अनुसार नहीं है ।

श्री इराज्मु-द-सकेरा : यह बिल्कुल अनुच्छेद 83 के अनुसार है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 1 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1 Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj) : This Bill has not come as surprise to us. Shri Gokhale says that they are not afraid of the elections and that they will win. If it is so, then why are they not holding the elections ?

They have dissolved Tamilnadu Assembly and still they are democrat. In case some workers, association or people had demanded similar dissolution, they would have called them fascists. Britishers condemned the leaders of people's movement in 1942 in the way this Government condemning by calling them as fascists etc. They can suspend U. P. Legislature and still they are democrats but the people who demanded dissolution of Bihar and Gujarat legislaters were called fascists. A Government curboing the freedom of expression has no moral right to call itself a democracy. It is not too much to say that this Government is following the fascist path.

All those lodged in the jails are not being treated well. They are not being given the human treatment which was even given by the British Government.

This house should atleast be kept informed about the welfare of the members of this house lodged in different jails.

श्री इराज्मु-द-सेकेरा : इस चर्चा के दौरान मुझे यह देख कर खुशी हुई कि किसी ने भी यह नहीं कहा कि हम प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिये चुनाव स्थगित कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने पहली चर्चा के दौरान कहा था कि चुनाव के कारण मुद्रास्फीति हो सकती है । यह कोई उचित तर्क नहीं है

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिसका कि उत्तर दिया जा सके ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided

पक्ष में 165: विपक्ष में 20

Ayes 165: Noes 20:

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

तत्पश्चात् लोक-सभा गुरुवार 5 फरवरी 1976/16 माघ 1897 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday February, 1976 Magha 16 1897 (SAKA)

GMGIPND—273 LS—29-6-76—200